भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1017

29.07.2024 को उत्तर के लिए

मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम

1017. श्री जी. लक्ष्मीनारायण :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर में शुरू की गई मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम (एनएपीसीडी) का ब्यौरा क्या है तथा विशिष्ट परियोजनाओं सहित इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एनएपीसीडी के अंतर्गत अनंतपुर जिले को कुल कितनी निधि आवंटित और संवितरित की गई हैं और इसके कौन-कौन से स्रोत हैं;

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त जिले में एनएपीसीडी के अंतर्गत मरुस्थलीकरण और भूमि अवक्रमण के मुद्दों का समाधान करने के लिए सामुदायिक भागीदारी, सतत भूमि प्रबंधन पद्धतियों और पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार प्रयासों का ब्यौरा सहित क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या उक्त जिले में एनएपीसीडी पहलों के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) का एक पक्षकार है और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2023 को वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि की पुनर्बहाली के लिए देश की प्रतिबद्धताओं, संधारणीय भूमि प्रबंधन (एसएलएम) संबंधी कार्यनीतियों के संबंध में अनुभव साझा करने पर लक्षित संवर्धित दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु पहल तथा अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक 2.5 - 3 बिलियन टन सीओ$_2$ समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने पर विचार करते हुए तैयार किया गया था। इस योजना में आगे भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सुधारात्मक और निवारक प्रतिमानों के वर्गीकरण के अंतर्गत निर्देशात्मक प्रतिमानों का सुझाव दिया गया है तथा भूमि अवक्रमण के मुद्दों का निराकरण करने के लिए नई पहलों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2023 में अत्यावश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए देश में सभी वनीकरण स्कीमों को मिलाकर देश में पारि-पुनर्बहाली संबंधी पहलों के सहक्रियाशील, कुशल नियोजन और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा किसी विशिष्ट परिदृश्य में उपलब्ध वन और प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन को सुगम बनाने और प्रगामी एवं संधारणीय पारि-पुनर्बहाली संबंधी कार्रवाइयों में सहायक बनने योग्य और संभावित रूप से संवेदनशील स्थलों के लिए प्रभावी आयोजना और उनका व्यापक चयन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना में अवक्रमित भूमि की पुनर्बहाली के लिए विभिन्न स्कीमों को मिलाने पर बल दिया गया है और इसमें वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******